

परसीमन

प्रलिस के लयि:

[परसीमन](#), परसीमन आयोग अधनियिम, 1952, [भारतीय संवधिन](#), परसीमन आयोग, [15वाँ वतित आयोग](#), [भारत नरिवाचन आयोग \(ECI\)](#)

मेन्स के लयि:

परसीमन की आवश्यकता एवं संबधति मुददे

चर्चा में क्यों?

दक्षिणी राज्यों के कई राजनेता जनसंख्या के आधार पर नरिवाचन क्षेत्रों के [परसीमन](#) के वरिध में आवाज़ उठा रहे हैं, जसि वे अनुचति मानते हैं।

- जनसंख्या नयितरण नीतियों का पालन करने वाले दक्षिणी राज्य अब जनसंख्या वृद्धि को नयितरति करने में अपनी सफलता के बावजूद संभावति नुकसान का सामना कर रहे हैं।

परसीमन:

परचिय:

- परसीमन का अर्थ है वधायी नकिय वाले देश या प्रांत में कषेत्रीय नरिवाचन क्षेत्रों की सीमाओं का नरिधारण करने की प्रक्रिया।
 - लोकसभा (LS) और वधिनसभा (LS) के लयि परसीमन स्थानीय नकियों से अलग है।
- परसीमन आयोग अधनियिम वर्ष 1952 में अधनियिमति कयिा गया था।
 - परसीमन आयोग का गठन भारत के [राष्ट्रपति](#) द्वारा कयिा जाता है तथा यह [भारत नरिवाचन आयोग](#) के सहयोग से कार्य करता है।
- 1952, 1962, 1972 और 2002 के अधनियिमों के आधार पर चार बार वर्ष 1952, 1963, 1973 और 2002 में परसीमन आयोगों का गठन कयिा गया है।
- पहला परसीमन अभ्यास वर्ष 1950-51 में [राष्ट्रपति \(चुनाव आयोग की मदद से\)](#) द्वारा कयिा गया था।

इतहिस:

- लोकसभा की राज्यवार संरचना में परविरतन लाने वाला अंतमि परसीमन वर्ष 1976 में पूरा हुआ और यह वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर कयिा गया।
- भारत का संवधिन यह आज्ञापति करता है कि लोकसभा में सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर होना चाहयि ताकि सीटों का जनसंख्या से अनुपात सभी राज्यों में लगभग समान हो। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चति करना है कि प्रत्येक व्यक्ती के वोट का भारांक लगभग समान हो, भले ही वे कसिी भी राज्य में रहते हों।
 - हालाँकि इस प्रावधान का अर्थ यह था कि जनसंख्या नयितरण में कम दलिचस्पी लेने वाले राज्यों को संसद में अधिक संख्या में सीटें मलि सकती हैं।
- इस तरह के परणामों से बचने के लयि संवधिन में संशोधन कयिा गया। 42वें संशोधन अधनियिम, 1976 ने वर्ष 1971 के परसीमन के आधार पर वर्ष 2000 तक के लयि राज्यों में लोकसभा में सीटों के आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशकि नरिवाचन क्षेत्रों में वभिजन पर रोक लगा दी।
- 84वें संशोधन अधनियिम, 2001 ने सरकार को वर्ष 1991 की जनगणना के जनसंख्या आँकड़ों के आधार पर राज्यों में कषेत्रीय नरिवाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन और युक्तकिरण का अधिकार दयिा।
- 87वें संशोधन अधनियिम, 2003 में नरिवाचन क्षेत्रों के परसीमन का प्रावधान वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर कयिा गया, न कि वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर।
 - हालाँकि यह लोकसभा में प्रत्येक राज्य को आवंटति सीटों की संख्या में बदलाव कयिे बनिा कयिा जा सकता है।

आवश्यकता:

- जनसंख्या के समान वर्गों को समान प्रतनिधित्व प्रदान करने हेतु।
- भौगोलिक क्षेत्रों के उचति वभिजन हेतु ताकि चुनाव में एक राजनीतिक दल को दूसरों पर फायदा न हो।

- "एक वोट एक मूल्य" के सिद्धांत का पालन करने हेतु।
- संवैधानिक प्रावधान:
 - अनुच्छेद 82 के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परसीमन अधिनियम बनाती है।
 - अनुच्छेद 170 के तहत राज्यों को प्रत्येक जनगणना के बाद परसीमन अधिनियम के अनुसार क्षेत्रीय नरिवाचन क्षेत्रों में वभाजति किया जाता है।

परसीमन संबंधी चिंताएँ:

- क्षेत्रीय असमानता:
 - नरिणायक कारक के रूप में जनसंख्या के कारण लोकसभा में भारत के उत्तर और दक्षिणी भाग के बीच प्रतिनिधित्व में असमानता है।
 - केवल जनसंख्या पर आधारित परसीमन दक्षिणी राज्यों द्वारा जनसंख्या नयित्रण में की गई प्रगतिकी अवहेलना करता है और संघीय ढाँचे में असमानताओं का कारण बनता है।
 - देश की जनसंख्या का केवल 18% होने के बावजूद दक्षिणी राज्य देश के सकल घरेलू उत्पाद में 35% योगदान करते हैं।
 - उत्तरी राज्य जनसंख्या नयित्रण को प्राथमिकता नहीं देते हैं तथा उच्च जनसंख्या वृद्धि के कारण परसीमन प्रक्रिया में उन्हें लाभ मिलने की उम्मीद है।
- अपर्याप्त वित्तपोषण:
 - 15वें वित्त आयोग द्वारा 2011 की जनगणना को अपनी सफारिश के आधार के रूप में उपयोग करने के बाद दक्षिणी राज्यों के संसद में वित्तपोषण और प्रतिनिधित्व खोने के बारे में चिंता जताई गई।
 - इससे पहले 1971 की जनगणना को राज्यों को वित्तपोषण और कर वचिलन सफारिशों के आधार के रूप में उपयोग किया गया था।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को प्रभावित करना:
 - सीटों के नरिधारित परसीमन और पुनः आवंटन के परिणामस्वरूप न केवल दक्षिणी राज्यों के लिये सीटों की हानि हो सकती है बल्कि उत्तर में अपने आधार के साथ राजनीतिक दलों के लिये सत्ता में वृद्धि भी हो सकती है।
 - यह संभवतः उत्तर की ओर और दक्षिण से दूर शक्ति का स्थानांतरण कर सकता है।
 - यह अभ्यास प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC/ST) के लिये आरक्षणित सीटों के वभाजन को भी प्रभावित करेगा (अनुच्छेद 330 और 332 के तहत)।

परसीमन आयोग

- गठन:
 - परसीमन आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है तथा भारत नरिवाचन आयोग के सहयोग से कार्य करता है।
- संरचना:
 - सर्वोच्च न्यायालय के सेवानवृत्त न्यायाधीश
 - मुख्य नरिवाचन आयुक्त
 - संबंधित राज्य के नरिवाचन आयुक्त
- कार्य:
 - सभी नरिवाचन क्षेत्रों की जनसंख्या को लगभग बराबर करने के लिये नरिवाचन क्षेत्रों की संख्या और सीमाओं का नरिधारण करना।
 - अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षणित सीटों की पहचान करना, जहाँ उनकी जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक है।
- शक्तियाँ:
 - आयोग के सदस्यों के बीच मतभेद के मामले में बहुमत की राय प्रबल होती है।
 - भारत में परसीमन आयोग एक उच्च-शक्ति प्राप्त निकाय है, जिसके आदेशों को कानून का संरक्षण प्राप्त होता है और किसी भी न्यायालय के समक्ष इस पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।

आगे की राह

- वर्ष 2031 की जनगणना के आधार पर नरिवाचन क्षेत्र की सीमाओं को फिर से परिभाषित करने हेतु एकरसीमन आयोग का गठन किया जाना चाहिये। परसीमन आयोग द्वारा की गई जनसंख्या सफारिशों के आधार पर राज्यों को छोटे राज्यों में वभाजति करने के लिये एक राज्य पुनर्रगठन अधिनियम बनाया जाना चाहिये।
- पछिले परसीमन अभ्यास ने बताया कि भारत की जनसंख्या में वृद्धि हुई है तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व में परिणामी वषिमता को दूर करने की आवश्यकता पर बल दिया है।
- परसीमन की कसौटी के रूप में केवल जनसंख्या पर नरिभर रहने के बजाय अन्य कारकों जैसे कि विकास संकेतक, मानव विकास सूचकांक और परिवार नियोजन कार्यक्रमों को लागू करने के प्रयासों पर वचार करना चाहिये। यह राज्यों की ज़रूरतों और उपलब्धियों का अधिक व्यापक एवं न्यायसंगत प्रतिनिधित्व प्रदान करेगा।
- जनि राज्यों ने प्रभावी ढंग से परिवार नियोजन कार्यक्रमों को लागू किया है उनके प्रयासों की सराहना और पुरस्कृत किया जाना चाहिये।
- संतुलित दृष्टिकोण को शामिल करने के लिये नधियों के हस्तांतरण के दशिया-नरिदेशों की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिये।
- वलिय के लिये प्रस्तावित क्षेत्रों की विकास क्षमता और जनसंख्या में उनकी वृद्धिको परसीमन अभ्यास के मानदंड के रूप में देखा जाना चाहिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. परसीमन आयोग के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2012)

1. परसीमन आयोग के आदेश को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
2. जब परसीमन आयोग के आदेश लोकसभा या राज्य वधिनसभा के समक्ष रखे जाते हैं, तो वे आदेशों में कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

[स्रोत: द हद्रि](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/delimitation-11>

